संख्या-286/78-2-2020-42आईटी/2017 (49)

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉकः 14 जुलाई 2020

विषयः ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं की निविदा प्रकिया अन्तिमीकृत किए जाने एवं सफल निविदादाता को कयादेश/कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त कयादेश/कार्यादेश (Award of Contract) की प्रतिलिपि ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा निर्माण कार्यों एवं सामग्री के कय में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त शासकीय विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपकमों इत्यादि में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है तथा सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के कय तथा चालू दर एवॅ दर अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) हेतु रू 10 लाख से अधिक मूल्य की शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है।

2- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न पत्रों यथा (1) पत्रांक संख्या-148/78-2-2018-42आईटी/2017 दिनॉक 13 मार्च 2018, (2) पत्रांक संख्या-658/78-2-2018-42आईटी/2017टीसी-49 दिनॉक 11 अक्तूबर 2018 (3) पत्रांक संख्या-451/78-2-2019-42आईटी/2017टीसी(49) दिनॉक 8 अगस्त 2019 तथा (4) पत्रांक संख्या-578/78-2-2019-42आईटी/2017टीसी(49) दिनॉक 04-11-2019 द्वारा निरन्तर ही, निविदा प्रक्रिया अन्तिमीकृत करने के उपरान्त सफल निविदादाता को निर्गत कयादेश/कार्यादेश (Award of Contract) की प्रतिलिपि ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किये जाने का आग्रह किया जाता रहा है।

3- तथापि ई-टेण्डर पोर्टल के विश्लेषण में निरन्तर यह देखा जा रहा है कि टेण्डर आमंत्रित करने वाले विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों द्वारा ई-टेण्डर पोर्टल पर प्रकाशित ई-निविदाओं के पूर्ण होने के पश्चात अर्थात चयनित संस्था को क्रयादेश/कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात निविदा से सम्बन्धित AOC/L-1/LOI को ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड नही किया जाता है, जिसके कारण वास्तविक बचत/अधिक धनराशि और टेण्डर्स में प्राप्त दरों, कराये जाने वाले कार्यों, समय-अवधि इत्यादि के बारे में कोई भी विवरण प्राप्त किया जाना सम्भव नही होता है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई-टेण्डर पोर्टल साफ्टवेयर पर इस प्रकार का परिवर्तन करें कि किसी विभाग द्वारा निविदा पूर्ण होने के पश्चात एक माह के अन्दर यदि AOC/L-1/LOI अपलोड न किया जाये तो सम्बन्धित विभाग

अगली निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर तब तक प्रकाशित न कर सके जब तक विभाग पिछली निविदा का AOC/L-1/LOI ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड न कर दें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या तद्‌दिनॉक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव